संख्या-29 /2026/I/1250905/2026 /006-71-2099-263-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

2-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।

3-निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

4-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।

5-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-25-02-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिकित्सा संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेज में असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/504, दिनांक 28.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-02-सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय, आगरा हेतु मानक मद-09-विद्युत देय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 32.05 लाख तथा मानक मद-10-जलकर/जल प्रभार में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 100.00 लाख, इस प्रकार रु0 132.05 लाख, लेखाशीर्षक-2210-01-110- 15-06-अपर इण्डिया सुगर एक्सेंज प्रसूति चिकित्सालय, कानपुर हेतु मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 429.00 लाख, मानक मद-03-महंगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 269.00 लाख, मानक मद-55-मकान किराया भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 19.50 लाख तथा मानक मद-57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 5.00 लाख, इस प्रकार रू0 722.50 लाख, लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-10-संक्रामक रोग चिकित्सालय, कानपुर हेतु मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 142.00 लाख, मानक मद-03-महंगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 88.00 लाख, मानक मद-55-मकान किराया भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6.50 लाख तथा मानक मद-57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 10.00 लाख, इस प्रकार रू0 246.50 लाख, लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-03-महँगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 882.00 लाख तथा मानक मद-55-मकान किराया भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 800.00 लाख, इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रू0 1682.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2783.05 लाख की धनराशि असाध्य रोगों के ईलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा- 368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पत्र संख्या-39/2026/ A071-20242025-71-2099-263-2021, दिनांक-24 फरवरी, 2026 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि रू0 3011.00 लाख (रुपये तीस करोड़ ग्यारह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	चिकित्सा संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेज का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	1986.00
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	600.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।	400.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।	25.00
	योग-	3011.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. संबंधित संस्थान के निदेशक, का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान/प्रधानाचार्य का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा संस्थान एवं राजकीय मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,11,00,000 (रुपये तीस करोड़ ग्यारह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-29 /2026/I/1250905/2026 /006-71-2099-263-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर/आगरा/सहारनपुर, उ0प्र0।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, लखनऊ/कानपुर/आगरा/सहारनपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in